



राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302004

- 1 समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक/अशैक्षणिक, राज.वि.वि., जयपुर।
- 2 समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, राज.वि.वि., जयपुर।
- 3 समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्रीय पुस्तकालय/पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, राज. वि.वि., जयपुर।
- 4 सचिव, खेल बोर्ड, राज.वि.वि., जयपुर।
- 5 मुख्य कुलानुशासक/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, राज.वि.वि., जयपुर।
- 6 मुख्य आवासाधिकारी (छात्र व छात्रा), राज.वि.वि., जयपुर।
- 7 समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, राज.वि.वि., जयपुर।
- 8 समस्त आवासाधिकारी, राज.वि.वि., जयपुर।
- 9 प्रभारी चिकित्साधिकारी, विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर।
- 10 वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राज.वि.वि., जयपुर।
- 11 परीक्षा नियंत्रक, राज.वि.वि., जयपुर।
- 12 समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
- 13 सहायक विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ/नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राज.वि.वि., जयपुर।
- 14 प्रबंधक, विश्वविद्यालय अतिथि गृह, राज.वि.वि., जयपुर।
- 15 विश्वविद्यालय अभियंता, राज.वि.वि., जयपुर।
- 16 प्रभारी अधिकारी, उद्यान विभाग/विश्वविद्यालय प्रेस, राज.वि.वि., जयपुर।

क्रमांक: संस्था-2/2025/7643-7723

दिनांक : 7/3/2025

परिपत्र

महोदय/महोदया,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक: ए.18(43)शिक्षा-4/2024-04758 दिनांक 11.02.2025 के द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा पर्यवेक्षकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। यह प्रक्रिया NTA के समर्पित वेब पोर्टल (cbtc.nta.ac.in) पर ऑनलाईन पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से की जाएगी। जिससे विभिन्न परीक्षा आयोजनों के दौरान पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात होने हेतु पर्यवेक्षक पूल में पंजीकरण के लिए वे NTA द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर पर स्वीकृत है।

भवदीय,


Rj | JAW
(डॉ. राज कुमार जैन) 07/03/25
अतिरिक्त कुलसचिव

क्रमांक: संस्था-2/2025/7724-7728

दिनांक: 7/3/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. नॉडल अधिकारी, उच्च शिक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है, कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, राज. वि.वि., जयपुर।



(सुरेश चन्द्र शर्मा)

सहायक कुलसचिव (संस्था.-2)